

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
—0—

क्रमांक २५० / एफ 2015-04-00369 / स्था / चार नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च, 2016
प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषय :- नवीन अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशीलता की तिथि में परिवर्तन बाबत।

संदर्भ :- कृषि विभाग का प्रस्ताव क्रमांक आर-849/2014/14-1, दिनांक
04.03.2015

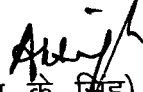
—:—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

2/- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 1.4.2012 के स्थान पर दिनांक 1.6.2008 से लागू माना जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(ए. के. सिंह)
उप सचिव

.....निरंतर..2

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
8. निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण/मान. राज्यमंत्रीगण (समस्त), नया रायपुर
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
11. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
14. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
15. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
17. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, रायपुर
18. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
20. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर /दुर्ग,
21. कोषालय अधिकारी, सिटी/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
22. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सिटी/जिला कोषालय, रायपुर
23. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
24. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
25. समस्त मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
26. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु



(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी